राजस्व प्रार्थना पत्र 47/2022
टीसीएम/जावल संख्या 2022/126
आपूदेवी बनाम सरकार

वाली क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि प्रेमदास एवं उमादेवी पत्नि श्यामसुन्दर आपूदेवी पत्नि श्यामलाल बनाम दोनों एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण दाजा की धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) ग्राम [illegible] के खाता संख्या 70 में दर्ज खातेदार नाम उमादेवी पत्नि श्यामसुन्दर के स्थान पर आपूदेवी पत्नि श्यामलाल दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-:: आदेश ::-

उक्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के साथ धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जावल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम [illegible] तहसील जावल की जमाबंदी में खाता संख्या 70 में दर्ज नाम उमादेवी पत्नि श्यामसुन्दर के स्थान पर आपूदेवी पत्नि श्यामलाल दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा खुले इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जावल

Scanned with CamScanner